फर्द अहकाम

(नियम (26))

अज अदालत ..... उपखण्ड अधिकारी सिकराय .....

सरकार बनाम ..... गयी v/s सूलसिंह .....

किस्म मुकदमा ..... दावा ..... मु० नं० 72/2020

प्रतिपक्ष अस्थायी निषेध

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 18.11.20 | प्रतिपक्ष अस्थायी निषेध पेश किया गया तलबी अशक्तीग ओर दि 18.11.20 को पेश हो<br>उपखण्ड अधिकारी<br>सिकराय जिला-दौसा | तलबी<br>418<br>14.12.20 |
| 18/11/20 | पत्रावली पेश हुई, वकीलों द्वारा कार्य स्थगित/[illegible] राज्य कार्य में व्यस्त, दौरे पर [illegible] तामील तारीख पेशी लगा [illegible] पत्रावली दि० तक 7.12.20 को पेश हो। | |
| 9/12/20 | प्रवाक्ती पेश/ वकील वादी उप० अपचीगत की तलबी की आज दि 22.12.20 को पेश हो | |
| 22.12.20 | प्रवाक्ती पेश/ वकील वादी उप० प्रतिवादी 1-3 की ओर से प्रकाश शर्मा एड० द्वारा ए.ए पेश की गई वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि० 23.12.20 को पेश हो | जारी प्रति-प्रतिवादी 1 ला० 3<br>अहलमकार |
| 23/12/20 | पत्रावली पेश/ वकील वादी उप० / प्रतिवादी 1-3 वकील उपस्थित। अन्तरिम TI पर सुना गया प्रवाक्ती का अवलोकन किया गया/ दस्तावेज का अवलोकन किया गया/ पक्षकार कैसर केस सुलझाने व संतुलन प्राप्त करने के मद्दे में शामिल होने के अन्तरिम TI के उपबन्धों का वादी [illegible] अ22/1 उर्फ अ22 के खसरा नं० [illegible] खसरा नं० 70 रकबा 1.32 हे० कृषि पर राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति नं० फैसला वाद की भांति हो। उपबन्ध लागू रहे प्रवाक्ती फैसल होकर जवाब का हक है<br>उपखण्ड अधिकारी<br>सिकराय जिला-दौसा | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Singh Godara

Date: 2021.01.06 14:55:18 IST

Reason: SelfAttested